

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, CHHATRAPATI SHIVAJI BHAWAN, QUTAB INSTITUTIONAL AREA,
KATWARIA SARAI, NEW DELHI – 110 016.

PUBLIC NOTICE

Subscribers registered under NPS-Lite-Swavalamban Scheme

1. NPS-Lite-Swavalamban scheme was launched in the year 2010 to provide old-age income security to economically disadvantaged sections of society. Given the launch of the Atal Pension Yojana (APY) in 2015, fresh enrolment under the NPS-Lite Swavalamban scheme was ceased except for the enrolment of Gramin Dak Sevaks of the Department of Post(DoP). The existing subscribers registered under NPS-Lite-Swavalamban Scheme during period 2010 to 2015 were allowed to continue under the scheme, and also, the subscribers between the age of 18 to 40 years were given option to migrate to APY.
2. The exiting subscriber under NPS-Lite -Swavalamban Scheme are hereby informed as:
 - (a) Subscribers can deposit subsequent contributions through their underlying PoP-NPS-Lite/Aggregator or can contribute online by logging into eNPS portal at <https://enps.nsd.com/eNPS/InitialExistingUser.html>.
 - (b) Subscribers between the age of 18 to 40 years can migrate to APY to avail the benefit of guaranteed pension. For migration of account the subscribers may contact the bank/post office where the savings bank account is held by them.
 - (c) Subscribers above the age of 40 years who do not wish to continue under the scheme can exit by submitting the premature exit request/form to the underlying PoP-NPS-Lite/Aggregator.
3. The subscribers are advised to update/add/modify the bank account details, contact details and/or nominee details, as required in their respective PRAN through their underlying PoP-NPS-Lite/Aggregator to ensure effective maintenance of their account.
4. The subscribers can check the statement of the transaction (SOT) by login into <https://npslite-nsdl.com/> or by downloading the NPS-Lite mobile App. The subscribers for more details can visit the PFRDA's website (www.pfrda.org.in) or call to toll-free no 1800 110 908

Please visit our website
www.pfrda.org.in for complete
information and schemes regulated
and administered by PFRDA or scan
the QR code



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
बी -14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016

सार्वजनिक सूचना

एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना के तहत पंजीकृत अभिदाता

1. एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना, समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा पदान करने के लिए वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत के बाद डाक विभाग (डीओपी) के यामीण डाक सेवकों के नामांकन को छोड़कर एनपीएस-लाइट स्वावलंबन योजना के तहत नए नामांकन बंद कर दिए गए थे। वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के दौरान एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना के तहत पंजीकृत मौजूदा अभिदाताओं को योजना के तहत जारी रखने की अनुमति दी गई थी, और इसके अतिरिक्त 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प भी दिया गया था।

2. एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना के तहत मौजूदा अभिदाताओं को सूचित किया जाता है कि :

(क) अभिदाता अपने अंतर्निहित पीओपी-एनपीएस-लाइट/संकलनकर्ता के माध्यम से अनुवर्ती अंशदान जमा कर सकते हैं अथवा <https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html> लिंक पर एनपीएस पोर्टल में लॉग इन करके ऑनलाइन अंशदान जमा कर सकते हैं।

(ख) 18 से 40 वर्ष की आयु के अभिदाता गारंटीकृत पेंशन का लाभ उठाने के लिए एपीवाई में स्थानांतरित हो सकते हैं। खाते के स्थानांतरण के लिए अभिदाता अपने बचत बैंक खाते से जुड़े बैंक / डाकघर में संपर्क कर सकते हैं।

(ग) 40 वर्ष से अधिक आयु के अभिदाता जो इस योजना के अंतर्गत जारी नहीं रखना चाहते हैं, वे अंतर्निहित पीओपी-एनपीएस-लाइट/संकलनकर्ता को समय पूर्व निकास अनुरोध / प्रपत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर निकल सकते हैं।

3. अभिदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते के प्रभावी रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अपने अंतर्निहित पीओपी-एनपीएस-लाइट/संकलनकर्ता के माध्यम से अपने संबंधित प्रान में आवश्यकतानुसार बैंक खाता विवरण, संपर्क विवरण और/या नामिती विवरण में अपडेट/जोड़/संशोधन करें।

4. अभिदाता अपने लेनदेन विवरण (एसओटी) की जांच <https://npslite-nsdl.com/> लिंक में लॉगिन करके अथवा एनपीएस-लाइट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभिदाता पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 110 908 पर कॉल कर सकते हैं।

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित योजनाओं की पूरी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.pfrda.org.in पर जाएं या क्विज़ार कोड स्कैन करें।

